भाग III

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

अध्याय V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

5.1 प्रस्तावना

5.1.1 सामान्य

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों के संचालन के लिए स्थापित किए जाते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन पीएसयू में राज्य सरकार की कंपनियां और सांविधिक निगम शामिल हैं। 31 मार्च 2019 तक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के तहत तीन सांविधिक निगमों[1] सहित 42[2] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (विद्युत क्षेत्र में छह और गैर-विद्युत क्षेत्र में 36) थे। इन 42 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से, 33 सक्रिय और नौ[3] निष्क्रिय थे (विद्युत क्षेत्र में चार और गैर-विद्युत क्षेत्र में पाँच)। कुल प्रदत्त इक्विटी ₹55.70 करोड़ वाली एक पीएसयू अर्थात् जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड जुलाई 1998 से स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है। बैंक की यह ₹55.70 करोड़ की प्रदत्त इक्विटी अंशत: राज्य सरकार द्वारा (59.23 प्रतिशत) तथा शेष भाग को विदेशी संस्थागत निवेशकों, निवासी व्यक्तियों और अन्य (40.77 प्रतिशत)[4] द्वारा अधिकार में रखी गई है। वर्ष 2018-19 के दौरान छह पीएसयू निगमित हुए तथा कोई भी पीएसयू बंद नहीं किया गया था।

जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडीसी) और चिनाब वैली पॉवर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपी) दो विद्युत उत्पादन कंपनियाँ हैं। चिनाब वैली पॉवर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपी) जो कि एक

---

1 जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन तथा जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन।

2 अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान छह नए पीसीयू सम्मिलित हैं: जम्मू एण्ड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाईजेशन, एआईसी-जम्मू एण्ड कश्मीर ईडीआई फाउंडेशन, जम्मू एण्ड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फाइनेन्स कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर आई.टी. इंफ्रास्ट्रचर डेवलपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड।

3 जम्मू एण्ड कश्मीर पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जम्मू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, कश्मीर पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैण्डलूम हैण्डीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की एक सहायक), तवी स्कूटर्स लिमिटेड, हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर रोड़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और जम्मू एण्ड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड।

4 इंडियन म्यूचुअल फंड, इंश्योरेन्स कंपनियां, अप्रवासी भारतीय और कॉर्पोरेट निकाय।

संयुक्त उद्यम[5] कंपनी है, जिसके पास मार्च 2019 तक ₹1,439.18 करोड़[6] का निवेश है।

विद्युत क्षेत्र के असमूहन के एक भाग के रूप में, राज्य सरकार की ओर से व्यापारिक गतिविधियों के निष्पादन हेतु एक विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी[7], दो विद्युत वितरण कपनियां[8] और एक कंपनी[9] विशेष रूप से विद्युत में व्यापारिक गतिविधियों के संचालन हेतु निगमित की गई। हालांकि, कंपनियों को मार्च 2013 और जून 2013 के बीच निगमित किया गया है, फिर भी मार्च 2019 तक इन कंपनियों ने अपनी परिचालन गतिविधियों को शुरू नहीं किया है। इन कंपनियों के वाणिज्यिक परिचालन के अभाव में, विद्युत पारेषण और वितरण गतिविधियों को जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विद्युत विकास विभाग द्वारा किया जाना जारी है।

33 कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों ने, अपने नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार 30 सितंबर 2019 तक ₹9,784.90 करोड़ का वार्षिक कारोबार पंजीकृत किया और ₹448.02 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया। यह कारोबार सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 6.33 प्रतिशत के बराबर था जो वर्ष 2018-19 के लिए राज्य हेतु ₹1,54,441 करोड़ (वर्तमान मूल्यों पर) था।

राज्य सरकार द्वारा शेयर पूँजी (₹55.77 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण (₹0.83 करोड़) के प्रति ₹56.60 करोड़ के निवेश सहित नौ निष्क्रिय सार्वजनिक उपक्रम हैं जो पिछले पाँच से 29 वर्षों से परिचालित नहीं हैं।

5.1.2 जवाबदेही रूपरेखा

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 2 (45) परिभाषित करती है कि एक सरकारी कंपनी से आशय एक किसी ऐसी कंपनी से है जिसमें केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा और वह कंपनी जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है, द्वारा अधिकार में रखी गयी प्रदत्त शेयर पूँजी का हिस्सा 51 प्रतिशत से कम न हो। सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 और 143 में निर्धारित की गई हैं।

---

5 सीवीपीपीपी जेकेएसपीडीसी का एक संयुक्त उद्यम है, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी) और पॉवर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (पीटीसी) जिनमें जम्मू और कश्मीर सरकार ने कोई निवेश नहीं किया है।

6 जेकेएसपीडीसी: ₹687.55 करोड़, एनएचपीसीः ₹747.55 करोड़ और पीटीसीः ₹4.08 करोड़।

7 जम्मू एण्ड कश्मीर पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (मार्च 2013)।

8 जम्मू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (जून 2013) और कश्मीर पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (जून 2013)।

9 जम्मू एण्ड कश्मीर पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (मार्च 2013)।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के तहत एक सरकारी कंपनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में यह प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से 180 दिनों की अवधि के अंदर सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति सीएजी द्वारा की जानी चाहिए। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) में यह प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में, कंपनी के पंजीकरण की तारीख से 60 दिनों के अंदर सीएजी द्वारा पहला लेखापरीक्षक नियुक्त किया जाएगा और यदि सीएजी उक्त अवधि के अंदर इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं करता है, तो कंपनी के निदेशक मंडल या कंपनी के सदस्यों के द्वारा ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जानी है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उप-धारा (5) या उप-धारा (7) के तहत कवर की गई किसी भी कंपनी के मामले में, यदि आवश्यक समझा जाए, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा की जा सकती है और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान इस प्रकार की नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर लागू होंगे। इस प्रकार, एक सरकारी कंपनी या किसी अन्य कंपनी का स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, केंद्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तो ये सभी सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन हैं। हालांकि, 31 मार्च 2014 को या उससे पूर्व प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी।

5.1.3 सांविधिक लेखापरीक्षा

सरकारी कंपनियों (अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में यथा परिभाषित) के वित्तीय विवरण सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किए जाते हैं, जिन्हें अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त किया जाता है। सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत अन्य कार्यों के अलावा कंपनी के वित्तीय विवरणों सहित सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के संबंध में, लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों द्वारा और पूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा संचालित की जाती है।

5.1.4 सरकार और विधानमण्डल की भूमिका

राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक उपक्रमों के मामलों पर नियंत्रण रखती है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

राज्य विधानमंडल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश के लेखांकन और उपयोग की भी निगरानी करते हैं। इसके लिए, सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और सीएजी की टिप्पणियों के साथ-साथ राज्य सरकार की कंपनियों और सांविधिक निगमों के मामले में सीएजी के अलग-अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष अधिनियम 2013 की धारा 394 या जैसे कि संबंधित अधिनियमों में निर्धारित है, के तहत रखा जाएगा। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के तहत सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

5.1.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के योगदान का प्रभाव

जम्मू और कश्मीर सरकार (जीओजेके) के द्वारा किए गए निवेश पर लाभांश की उचित दर का निर्धारण करने के लिए, अर्थात् इक्विटी पर रिटर्न, नियोजित पूँजी पर रिटर्न और सरकार, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण कारोबार का अनुपात, ब्याज कवरेज अनुपात आदि पर टिप्पणी करके कंपनियों की वित्तीय क्षमता का निर्धारण करने के लिए, अर्थात राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए इन सार्वजनिक उपक्रमों के प्रभाव और योगदान के विषय में निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए, विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (छह[10]) और विद्युत क्षेत्र के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (36[11]) को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

---

10 दो कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम: जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडीसी) और चिनाब वैली पॉवर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपी) और चार निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम: (1) जम्मू एण्ड कश्मीर पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (2) जम्मू एण्ड कश्मीर पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (3) जम्मू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और (4) कश्मीर पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड।

11 33 सरकारी कंपनियां और तीन सांविधिक निगम (जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड़ ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन)।

तालिका 5.1 वर्ष 2014 से 2019 के दौरान पीएसयू और राज्य के जीएसडीपी के कारोबार के विवरण उपलब्ध कराती है।

तालिका 5.1:

जम्मू-कश्मीर के जीएसडीपी के प्रति राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के कारोबार के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों[12] का कारोबार	1,220.62	1,119.90	1,119.90	992.46	992.46
अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार गैर-विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का कारोबार	7,449.34	7,296.59	7,238.03	7,579.22	8792.44
मौजूदा कीमतों पर जम्मू और कश्मीर की जीएसडीपी	98,370	1,17,187	1,26,847	1,40,887	1,54,441
जम्मू-कश्मीर की जीएसडीपी के प्रति, विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का कारोबार (***प्रतिशत में***)	1.24	0.96	0.88	0.70	0.64
जम्मू-कश्मीर की जीएसडीपी के प्रति, गैर-विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का कारोबार (***प्रतिशत में***)	7.57	6.23	5.71	5.38	5.69

(स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त सूचना के अनुसार और जम्मू व कश्मीर सरकार, के वित्त विभाग द्वारा दी गई जीएसडीपी के कारोबार के आंकड़ों के आधार पर संकलित)

5.1.6 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा विद्युत के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा पीएसयू क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए सभी क्षेत्रों में, किसी भी प्रकार का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण नहीं किया गया।

5.1.7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2019 तक, इन 42 राज्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में, इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण के रूप में किए गए निवेश का सारांश तालिका 5.2 में दिया गया है:

तालिका 5.2: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में गतिविधि-वार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	पीएसयू की संख्या	निवेश					
		इक्विटी		दीर्घकालिक ऋण		कुल	
		जीओजेके	अन्य	जीओजेके	अन्य	जीओजेके	अन्य
विद्युत क्षेत्र में पीएसयू	6*	5.20	1,439.18	0	1,627.12	5.20	3,066.30

[12] कारोबार केवल जेकेएसपीडीसी से संबंधित है क्योंकि विद्युत क्षेत्र के छह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से, चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नामत: (1) जम्मू एण्ड कश्मीर पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (2) जम्मू एण्ड कश्मीर पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (3) जम्मू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (4) कश्मीर पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड निष्क्रिय है और सीवीपीपीपी में, जम्मू कश्मीर सरकार ने कोई निवेश नहीं किया है।

क्षेत्र	पीएसयू की संख्या	निवेश					
		इक्विटी		दीर्घकालिक ऋण		कुल	
		जीओजेके	अन्य	जीओजेके	अन्य	जीओजेके	अन्य
विद्युत क्षेत्र के अलावा अन्य पीएसयू ^							
सामाजिक क्षेत्र में पीएसयू	17	183.16	35.56	1,164.21	121.03	1,347.37	156.59
प्रतिस्पर्धी वातावरण में पीएसयू	11	519.56	83.04	978.55	2,683.37	1,498.11	2,766.41
अन्य	8	56.82	0.00	0.00	0.00	56.82	0.00
कुल (विद्युत क्षेत्र के अलावा)	**36**	**759.54**	**118.60**	**2,142.76**	**2,804.40**	**2,902.30**	**2,923.00**
कुल योग	**42**	**764.74**	**1,557.78**	**2,142.76**	**4,431.52**	**2,907.50**	**5,989.30**

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

* छह विद्युत क्षेत्र के पीएसयू में से, सिर्फ दो (जेकेएसपीडीसी और सीवीपीपीपी) सक्रिय हैं। जीओजेके ने सीवीपीपीपी में कोई निवेश नहीं किया है।

^ इसका विवरण ***परिशिष्ट 5.1.1*** में दिया है।

31 मार्च 2019 तक, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत इक्विटी के ₹14,44.38 करोड़ के कुल निवेश में से, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा केवल ₹5.20 करोड़ (0.36 प्रतिशत) का योगदान किया गया था। जेकेएसपीडीसी द्वारा ₹1,627.12 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए थे।

राज्य सरकार ने, 2013-14 तक के अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार पूँजीगत संपत्ति के सृजन के लिए जेकेएसपीडीसी को ₹5,753.83 करोड़ योजना निधि के रूप में दिए जैसा कि तालिका 5.3 में दिया गया है:

तालिका 5.3: जेकेएसपीडीसी में योजना निधियों की स्थिति

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अवधि जहां तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	2010-11	2010-11	2011-12	2011-12	2013-14	2013-14
निवेशित योजना निधि (₹ करोड़ में)	3,857.15	3,857.15	5,346.91	5,346.91	5,753.83	5,753.83

विभाग के अभिलेखों के अनुसार, जेकेएसपीडीसी के प्रति मार्च 2018 तक ₹5,318.61 करोड़ की राशि बकाया थी। राज्य सरकार ने जेकेएसपीडीसी को (दिसंबर 2018 में) कंपनी से विद्युत खरीद के कारण राज्य सरकार की देयता के प्रति ₹3,668.81 करोड़[13] समायोजित करने और राज्य सरकार को

[13] मार्च 2018 तक जेकेएसपीडीसी के प्रति पीडीडी की कुल विद्युत खरीद देयता ₹3,668.81 करोड़ थी जिसे मार्च 2018 तक राज्य सरकार द्वारा जेकेएसपीडीसी को प्रदान की गई ₹5,318.61 करोड़ की राशि की निधियों के प्रति समायोजित किया गया था।

₹2,588.34 करोड़[14] के मूल्य के इक्विटी शेयर जारी करने का निर्देश दिया। कंपनी ने सरकार के आदेशों के अनुपालन में, ₹2,588.34 करोड़ के मूल्य के शेयर जारी (अगस्त 2019) किए।

पूँजीगत परिसंपत्तियों के लिए प्राप्त निधियों के प्रति, राज्य सरकार के बकाया विद्युत बिल का समायोजन अनियमित था, क्योंकि सरकार ने निधियों को पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए प्रदान किया था। इसके अलावा, कंपनी के लेखे भी निधियों को पूँजीगत रिजर्वों के रूप में दिखा रहे थे।

31 मार्च 2019 तक, विद्युत क्षेत्र के अलावा इन 36 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण) ₹5,812.11 करोड़ था। इक्विटी के लिए, 14.88 प्रतिशत और दीर्घकालिक ऋणों में 85.12 प्रतिशत का निवेश निहित था। कुल दीर्घकालिक ऋणों (₹4,947.16 करोड़) में, 43.31 प्रतिशत (₹2,142.76 करोड़) राज्य सरकार द्वारा निहित किया गया जबकि कुल दीर्घकालिक ऋणों का 56.69 प्रतिशत (₹2,804.40 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया गया था।

5.1.8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

(ए) विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार, वार्षिक बजट के माध्यम से, विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को विभिन्न रूपों में जैसे कि इक्विटी, ऋण, अनुदान/ सहायिकी, माफ किए गए ऋण और वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ऋण के संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

जेकेएसपीडीसी को अनुदान के रूप में ₹135 करोड़ एवं ₹5.74 करोड़ की बजटीय सहायता क्रमशः वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान प्राप्त हुई थी। तथापि, वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार से कोई भी बजटीय सहायता प्राप्त नहीं हुई थी।

जम्मू और कश्मीर सरकार, पीएसयू को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता लेने के लिए गारंटी प्रदान करती है। राज्य सरकार ने राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी की सीमा और गारंटी कमीशन/ शुल्क को निर्धारित करने के लिए गारंटी अधिनियम नहीं बनाया है। हालांकि, वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2006 उस सीमा को निर्धारित करता है, जिसके अंदर राज्य सरकार, राज्य की समेकित निधि की सुरक्षा पर गारंटी दे सकती है। जम्मू और

[14] जेकेएसपीडीसी के पास उपलब्ध शेष (₹1,649.80 करोड़), वर्ष 1999 में ₹ एक के टोकन मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा जेकेएसपीडीसी (₹916.54 करोड़) को हस्तांतरित परिसंपत्तियाँ और 44 एमडब्ल्यू स्तकना एचईपी (₹22 करोड़) वर्ष 2011 में पीडीडी द्वारा जेकेएसपीडीसी को हस्तांरित, दोनों को इक्विटी अंशदान के रूप में माना गया।

कश्मीर सरकार ने राज्य सरकार की ओर से जारी गारंटी से मिलने वाले दायित्वों को पूरा करने के लिए गारंटी रिडेम्पशन फण्ड का भी गठन (अगस्त 2006 में) किया। वर्ष 2016-17 में, ₹2,299.40 करोड़ से वर्ष 2018-19 में, ₹1687.12 करोड़ बकाया गारंटी प्रतिबद्धताओं[15] में 26.63 प्रतिशत की कमी हुई। वर्ष 2018-19 के दौरान, विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा कोई गारंटी शुल्क नहीं दिया गया था।

(बी) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता (विद्युत क्षेत्र के अलावा)

मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए इक्विटी, ऋण, अनुदान/ सहायिकी, माफ किए गए ऋणों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के संबंध में इक्विटी में परिवर्तित ऋणों के प्रति बजटीय व्यय के संक्षिप्त ब्यौरे इस प्रकार हैं:

तालिका 5.4: वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य के पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के लिए बजटीय सहायता के संबंध में ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण[16]	2016-17		2017-18		2018-19	
		पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि
1.	इक्विटी पूँजी आउटगो	3	9.56[17]	4	23.20[18]	13	40.42[19]
2.	दिए गए ऋण	8	54.77	8	50.82	9	56.18
3.	अनुदान/ सब्सिडी प्रदान किए गए	9	133.30	7	126.85	7	43.17
	कुल आउटगो (1+2+3)*	**13**	**197.63**	**12**	**200.87**	**22**	**139.77**
4.	माफ किए गए पुनर्भुगतान ऋण	-	-	-	-	-	-
5.	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	1	72.88	-	-
6.	जारी की गई गारंटियाँ	1	2.00	1	8.00	1	20.00
7.	बकाया गारंटी प्रतिबद्धता	3	60.60	2	98.28	2	134.97

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

*पीएसयू की संख्या उन पीएसयू का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने एक या एक से अधिक शीर्षों अर्थात् इक्विटी, ऋण और अनुदान/ सहायिकी के अंतर्गत बजट से आउटगो प्राप्त किया है।

---

15 2016-17: ₹2,299.40 करोड़, 2017-18: ₹2,045.88 करोड़, 2018-19: ₹1,687.12 करोड़।

16 राशि केवल राज्य बजट आउटगो को वर्णित करती है।

17 राज्य सरकार ने जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड में ₹250 करोड़ का निवेश किया जिसके प्रति वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने 3,65,55,051 शेयर (₹1 प्रति शेयर के अंकित मूल्य के संबंध में ₹67.39 प्रति शेयर के प्रीमियम पर) जारी किए। शेयर पूंजी में की गई वृद्धि को इसके अनुसार परिलक्षित किया गया है।

18 राज्य सरकार ने, जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड में ₹282 करोड़ का निवेश किया जिसके लिए वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने 3.55 करोड़ शेयर (₹1 प्रति शेयर के अंकित मूल्य के संबंध में ₹78 प्रति शेयर के प्रीमियम पर) जारी किए। शेयर पूंजी में की गई वृद्धि को इसके अनुसार परिलक्षित किया गया है।

19 वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान निगमित किए गए नौ नए पीएसयू से संबंधित ₹6.57 करोड शामिल हैं।

विद्युत क्षेत्र के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान वार्षिक बजटीय सहायता ₹139.77 करोड़ और ₹197.63 करोड़ के बीच रही थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, दिए गए ₹139.77 करोड़ की बजटीय सहायता में, ₹56.18 करोड़ ऋण के रूप में, ₹43.17 करोड़ अनुदान/ सब्सिडी के रूप में और ₹40.42 करोड़ इक्विटी सहायता के रूप में हैं। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी/ अनुदान मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और औद्योगिक संपदा के उन्नयन के लिए प्रदान की गई थी, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम को अपने वेतन खर्चों को पूरा करने के लिए प्रदान किए गए अनुदान भी शामिल थे।

बकाया गारंटी प्रतिबद्धता जो वर्ष 2016-17 में ₹60.60 करोड़ थी, वह वर्ष 2018-19 में 122.72 प्रतिशत बढ़कर ₹134.97 करोड़ हो गई। **वर्ष 2018-19 के दौरान, विद्युत क्षेत्र पीएसयू के अलावा किसी भी गारंटी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था।**

5.1.9 जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋण और बकाया गारंटी के संबंध में दिए गए आँकड़ों का मिलान **जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्त लेखाओं** में प्रदर्शित आँकड़ों के साथ होना चाहिए। यदि आँकड़ों का मिलान नहीं होता, तो संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और वित्त विभाग को मिलकर अंतरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2019 तक वित्त लेखाओं में दर्शाए गए और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा तैयार किए गए आँकड़ों के बीच के अंतर को तालिका 5.5 में दिया गया है:

तालिका 5.5: मार्च 2019 तक पीएसयू के अभिलेखों की तुलना में, वित्त लेखाओं के अनुसार इक्विटी और ऋण बकाया

(₹ करोड़ में)

के संबंध में बकाया	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि		पीएसयू के अभिलेखों[20] के अनुसार राशि		अंतर	
	विद्युत क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र के अलावा	विद्युत क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र के अलावा	विद्युत क्षेत्र[21]	विद्युत क्षेत्र के अलावा
शेयर पूँजी	7.45	625.74	5.00	697.40	(-)2.45	71.66
बकाया ऋण	85.05	834.87	0.00	2,141.90	(-)85.05	1,307.03
गारंटी	1687.12	117.13	1687.12	148.27	शून्य	31.14

(स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और वित्त लेखाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित)

[20] मार्च 2019 तक अनलेखापरीक्षित वर्तमान आँकड़े।

[21] केवल जेकेएसपीडीसी के संबंध में ही अंतर था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विद्युत क्षेत्र के अलावा 22 राज्य पीएसयू[22] में से, 17 पीएसयू के संबंध में इस प्रकार के अंतर पाए गए जैसा कि ***परिशिष्ट 5.1.2*** में विवरण दिया गया है। आँकड़ों के बीच अंतर पिछले कई वर्षों से जारी हैं। अंतरों के समाधान का मुद्दा भी समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विभागों के साथ उठाया गया था। जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ऋण बकाया के संबंध में और जम्मू एण्ड कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में इक्विटी के संबंध में शेषों में बड़ा अंतर देखा गया।

यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार और संबंधित पीएसयू को समयबद्ध तरीके से लेखाओं में अंतरों का समाधान करना चाहिए।

5.1.10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

वर्ष 2018-19 के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य में 33 कार्यशील पीएसयू थे और इन सभी पीएसयू द्वारा 30 सितंबर 2019 तक अपने वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

तालिका 5.6: लेखाओं की स्थिति

पीएसयू का स्वरूप	कुल संख्या	पीएसयू की संख्या जिनके लेखे रिपोर्टिंग अवधि[23] के दौरान प्राप्त हुए हैं				30 सितंबर 2019 तक पीएसयू की संख्या जिनके लेखे शेष हैं (शेष में कुल लेखे)
		2018-19 तक लेखे	2017-18 तक लेखे	2016-17 तक लेखे	कुल	
कार्यरत सरकारी कंपनियाँ[24]	30	3	1	-	4	17[25] (156)
सांविधिक निगम	3	-	1	-	1	2[26] (6)
कुल कार्यरत पीएसयू	**33**	**3**	**2**	**-**	**5**	**19 (162)**
निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ	9	-	-	-	-	3[27] (75)
कुल	**42**	**3**	**2**	**-**	**5**	**22 (237)**

(स्रोतः कार्यालय द्वारा प्राप्त सूचना)

22 पांच निष्क्रिय पीएसयू के संबंध में आँकड़े अर्थात् (1) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, (2) जम्मू एण्ड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड, (3) तवी स्कूटर्स लिमिटेड, (4) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और (5) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मैटेरियल सप्लाइज आर्गेनाईजेशन लिमिटेड के संबंध में और नौ नई निगमित पीएसयू के डेटा पर विचार नहीं किया गया है।

23 अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 तक।

24 सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और 139 (7) में संदर्भित अन्य कंपनियां शामिल हैं।

25 जम्मू एण्ड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड (मार्च 2014 में निगमित) और नौ नए निगमित पीएसयू (वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान निगमित) पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इन्होंने स्थापना के बाद से अपने लेखाओं को कभी प्रस्तुत नहीं किया।

26 जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के संबंध में लेखाओं के बकायों पर विचार नहीं किया गया क्योंकि कंपनी ने अपनी स्थापना (जुलाई 1979) के समय से कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया।

27 छह कंपनियों से संबंधित बकाया लेखे नामत: (1) जम्मू एण्ड कश्मीर पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (2) जम्मू एण्ड कश्मीर पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (3) जम्मू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (4) कश्मीर पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (5) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (6) जम्मू एण्ड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के संबंध में लेखाओं के बकायों पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इन कंपनियों ने स्थापना के बाद से अपने लेखाओं को कभी प्रस्तुत नहीं किया है।

33 पीएसयू में से, तीन सरकारी कंपनियों[28] ने वर्ष 2018-19 के लिए अपने लेखे 30 सितंबर 2019 या उससे पहले सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए और 19 सरकारी कंपनियों के लेखे शेष थे। शेष 11 पीएसयू ने लेखापरीक्षा सौंपने/ स्थापना के समय से ही अपने लेखाओं को प्रस्तुत नहीं किया। जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, जम्मू एण्ड कश्मीर मेडीकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने क्रमशः वर्ष 1996-97 और 2013-14 से प्रथम लेखाओं को प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रशासनिक विभागों के पास इन उपक्रमों की गतिविधियों की देखरेख करने और यह भी सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी है कि इन पीएसयू द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है और अपनाया गया है। शेष लेखाओं को अंतिम रूप देने के ब्यौरे ***परिशिष्ट 5.1.3 (ए)*** में दिए गये हैं:

जम्मू और कश्मीर सरकार ने 19 कार्यशील राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से, 10 के लिए ₹366.83 करोड़ (ऋण: ₹359.63 करोड़, सब्सिडी: ₹7.20 करोड़) प्रदान किए थे; जिनके लेखाओं को 30 सितंबर 2019 तक भी अंतिम रूप नहीं दिया गया था शेष 09 पीएसयू जिनके वार्षिक लेखे बकाया थे, इस अवधि के दौरान राज्य सरकार ने इनमें कोई भी निवेश नहीं किया था।

सितंबर 2019 तक जिन लेखाओं में बकाया था, उन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश के पीएसयू-वार ब्यौरे ***परिशिष्ट 5.1.3 (बी)*** में दिए गए हैं।

लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण न केवल संबंधित संविधियों के प्रावधानों का उल्लंघन होता है, अपितु धोखाधड़ी और सार्वजनिक निधि के लीकेज का जोखिम भी होता है।

यह विशेष रूप से जम्मू एण्ड कश्मीर मेडीकल सप्लाइज लिमिटेड जैसे पीएसयू के लिए महत्त्वपूर्ण है, जिसे दवाईयों और उपकरण की अधिप्राप्ति एवं वितरण के लिए सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा सेवा प्रदाताओं को सहायता उपलब्ध कराने हेतु निगमित किया गया था। आरंभ से ही लेखाओं का अप्रस्तुतीकरण विशेषकर कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियों के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की सहायता करने वाली कंपनी के निष्पादन के आंकलन को स्वयं ही प्रस्तुत नहीं करता है।

शेष लेखाओं के बकायों की स्थिति के मद्देनजर, वर्ष 2018-19 के लिए राज्य के जीडीपी में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वास्तविक योगदान को सुनिश्चित नहीं किया जा सका और राज्य के खजाने में उनके योगदान के विषय में राज्य विधानमंडल को भी नहीं बताया जा सका।

---

[28] सीवीपीपीपी, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड और जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सेर्विसेज लिमिटेड।

यह अनुशंसा की जाती है कि वित्त और संबन्धित प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करें किः

- **सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को समय पर तैयार करने में बाधाओं का पता लगा सकती है और लेखाओं को अद्यतित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।**
- **राज्य पीएसयू लेखाओं में बकायों के परिसमापन के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें और**
- **ऐसे पीएसयू जिनके लेखे अद्यतित नहीं हैं, उन्हें बजटीय सहायता प्रदान न की जाये।**

सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का स्थापन

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा पर सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन है। ये प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं। तीन कार्यशील सांविधिक निगमों में से, किसी भी निगम ने, 2018-19 के लेखे 30 सितंबर 2019 तक अग्रेषित नहीं किए हैं।

सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं की स्थिति और विधानमंडल में उनके एसएआर के स्थापन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 5.7: सांविधिक निगमों के एसएआर के स्थापन की स्थिति

निगम का नाम	लेखाओं का वर्ष	एसएआर का स्थापन माह
जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन	2017-18	अभी भी प्रस्तुत किए जाने हैं
जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन	2013-14	फरवरी 2018
जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फोरेस्ट कॉरपोरेशन	-	स्थापना से ही निगम द्वारा अपने लेखे जमा नहीं किए गए (1996-97 के लेखाओं से)

(स्रोत: जम्मू और कश्मीर विधानसभा द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर संकलित)

5.1.11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

(ए) विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सरकार द्वारा उपक्रमों में किए गए निवेश पर उचित प्रतिफल प्राप्त करना अपेक्षित हैं। 30 सितंबर 2019 तक अपने नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, छह विद्युत क्षेत्र कंपनियों की वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणाम के ब्यौरे ***परिशिष्ट 5.1.4*** में दिए गए हैं।

विद्युत क्षेत्र के पीएसयू में निवेश की राशि ₹3,270.87 करोड़[29] थी जिसमें इक्विटी के रूप में ₹1,444.38 करोड़ और दीर्घकालिक ऋण के रूप में ₹1,826.49 करोड़ थे। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर सरकार ने केवल पाँच[30] विद्युत क्षेत्र पीएसयू में ₹5.20 करोड़ की इक्विटी शेयर पूँजी का निवेश किया है। तथापि, इन पाँच पीएसयू में से, विद्युत क्षेत्र की एकमात्र सक्रिय पीएसयू, जेकेएसपीडीसी ही लाभ अर्जित कर रही थी और वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, अंतिम रूप दिए गए चार लेखाओं[31] के संबंध में इसका लाभांश ₹433.41 करोड़ और ₹668.95 करोड़ के बीच रहा था।

(बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

30 सितंबर, 2019 तक अपने अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार 36 राज्य पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) की वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणामों के ब्यौरे ***परिशिष्ट 5.1.5*** में दिए गए हैं।

राज्य सरकार और अन्य का इन गैर-विद्युत पीएसयू में कुल निवेश ₹5,456.27 करोड़ था जिसमें ₹690.22 करोड़ की इक्विटी तथा ₹4,766.05 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण शामिल थे। ₹5,456.27 करोड़ के निवेश में से, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने 35 पीएसयू[32] में ₹2,545.31 करोड़ निवेश किया है जिसमें ₹595.62 करोड़ की इक्विटी तथा ₹1,949.69 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण सम्मिलित हैं।

2014-15 से 2018-19 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के निवेश की वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार हैं:

---

29 अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार, यह सूचना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दी गई सूचना से भिन्न हो सकती है।

30 चिनाब वैली पॉवर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर, जिसे जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार से कोई योगदान नहीं मिला।

31 2010-11: ₹ 460.45 करोड; 2011-12: ₹668.95 करोड; 2012-13: ₹489.51 करोड; 2013-14: ₹433.41 करोड।

32 जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को छोड़कर, जिसमें जम्मू और कश्मीर सरकार ने कोई निवेश नहीं किया था।

चार्ट 5.1: पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) में जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार का कुल निवेश

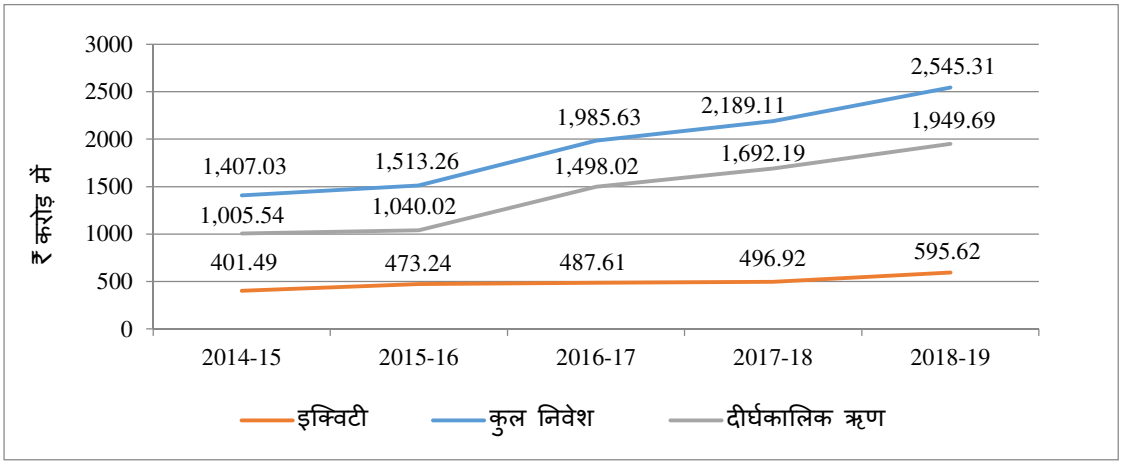

(स्रोतः नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार)

विद्युत क्षेत्रों के अलावा कुल 36 पीएसयू में से, वर्ष 2018-19 के दौरान अंतिम रूप दिए गए उनके नवीनतम लेखाओं के अनुसार नौ[33] लाभ वाले तथा दस[34] हानि वाले हैं। एक पीएसयू[35] ने अपने लाभ एवं हानि लेखाओं को प्रस्तुत नहीं किया है, वर्ष 2018-19 के दौरान शेष 16 पीएसयू या तो कार्यरत नहीं थे या अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए उनके वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत नहीं किया था।

अत: यह सिफ़ारिश की जाती है कि चूंकि हानि वाले पीएसयू का निरंतर विद्यमान रहना, राजकोष पर भारी दबाव का कारण बनता है, अत: राज्य सरकार सभी हानि वाले पीएसयू की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर सकती है।

---

33 जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट विमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट ट्यूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड।

34 जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर हैण्डीक्राफ्ट (सेल्स एण्ड एक्सपोर्ट) डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैण्डलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एण्ड जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड़ ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन।

35 जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैण्डलूम हैण्डीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की एक सहायक)।

5.1.12 मुख्य मापदंड

एक कंपनी की लाभप्रदता का मूल्यांकन पारंपरिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, इक्विटी पर प्रतिफल और नियोजित पूँजी पर प्रतिफल के माध्यम से किया जाता है। निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) इक्विटी और दीर्घकालिक ऋणों के रूप में निवेशित धन राशि के संबंध में एक निश्चित वर्ष में किए गए लाभ या हानि को मापता है और कुल निवेश के लिए लाभ के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई)[36] एक वित्तीय अनुपात है जो कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूँजी का उपयोग किया जाता है और इसकी गणना पूँजी द्वारा नियोजित ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई को विभाजित करके की जाती है। इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)[37] शेयरधारक की निधि द्वारा कर दिए जाने के पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित करके की गई गणना द्वारा निष्पादन का परिमाण है।

पीएसयू के निष्पादन का आंकलन करने हेतु उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्रयुक्त मूल वित्तीय अनुपातों को नीचे तालिका 5.8 (ए), (बी1) और (बी2) में दिया गया हैः

(ए) विद्युत क्षेत्र के पीएसयू

तालिका 5.8 (ए): विद्युत क्षेत्र के पीएसयू के मूल मापदण्ड[38]

(प्रतिशत में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आरओसीई	6.72	10.57	10.57	5.85	5.85
आरओआई	4.84	7.54	7.54	2.78	2.78
आरओई	4.59	8.34	8.34	2.87	2.87

(स्रोत: निवेश ऐतिहासिक लागत पर आधारित)

आरओसीई 5.85 प्रतिशत और 10.57 प्रतिशत के बीच, आरओआई 2.78 प्रतिशत तथा 7.54 प्रतिशत के बीच और आरओई 2.87 प्रतिशत तथा 8.34 प्रतिशत के बीच रही। ये मापदण्ड जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा निवेश की गई (जैसा कि तालिका 5.3 में दर्शाया गया है) योजना निधि पर विचार करते हुए निर्धारित किए गए हैं।

---

36 आरओसीई = ब्याज और कर से पहले आय/ नियोजित पूंजी, नियोजित पूंजी= प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण-संचित हानियाँ-आस्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं जिनके लिए पीएसयू के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

37 आरओई= कर के पश्चात् लाभ/ शेयरधारक निधि, शेयरधारक निधि = प्रदत्त पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष -आस्थगित राजस्व व्यय - संचित हानियाँ।

38 केवल एक विद्युत पीएसयू अर्थात् जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन में जेएण्डके सरकार द्वारा निवेश किया गया तथा 30 सितंबर 2019 को इसके लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया।

(बी-1) विद्युत क्षेत्र के अलावा सूचीबद्ध पीएसयू

जम्मू एवं कश्मीर सरकार का केवल एक पीएसयू अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज पर जुलाई 1998 से सूचीबद्ध है।

तालिका 5.8 (बी1): विद्युत क्षेत्र के अलावा सूचीबद्ध पीएसयू के मूल मापदंड

(प्रतिशत में)

		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड	**आरओसीई**	16.23	12.87	-36.75	11.55	17.93
	आरओआई[39]	760.40	533.08	532.82	408.06	360.22
	आरओई	13.00	10.10	-65.00	7.65	15.46

वर्ष 2014-15 से 2018-19 (वर्ष 2016-17 को छोड़कर) के दौरान आरओसीई और आरओई उच्च स्तर पर थे जो मुख्यतः जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड, जो कि सरकारी व्यवसाय के अनुसार एकाधिकारिक/ सुरक्षित वातावरण के अंतर्गत कार्यशील है, द्वारा अर्जित कर के उपरांत उच्च लाभ के कारण था। आरओआई ने वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान घटते हुए रूझान को दर्शाया। परिणामस्वरूप, वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर भी 6.38 प्रतिशत से 1.22 प्रतिशत तक घट गई जैसा कि ***परिशिष्ट 5.1.3 (सी)*** में वर्णन दिया गया है।

(बी-2) विद्युत के अलावा गैर-सूचीबद्ध पीएसयू

तालिका 5.8 (बी2): विद्युत क्षेत्र के अलावा गैर-सूचीबद्ध पीएसयू के मूल मापदंड (ऐतिहासिक लागत पर)

(प्रतिशत में)

विवरण	मापदण्ड	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
गैर-विद्युत पीएसयू के लिए सकल क्षेत्र	आरओसीई	-37.09	-28.44	-22.91	-9.94	-22.17
	आरओआई[40]	-29.76	-29.67	-34.09	-32.32	-29.39
	आरओई[41]	-	-	-	-	-

[39] आरओआई=(वितीय वर्ष के 31 मार्च तक कंपनी के बाजार पूँजीकरण के सरकारी शेयर+वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक सरकार की लाभांश प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य+वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक सरकार की विनिवेश प्राप्तियों का सरकारी मूल्य)-(आरंभ में सरकार की प्रदत्त इक्विटी+आरंभ में सरकार द्वारा निवेश की गई इक्विटी का घटाया गया मूल्य+आरंभ में संचालन तथा प्रशासनिक व्यय प्राप्त करने हेतु निवेश की गई सहायिकी/ अनुदानों का घटाया गया मूल्य)}(आरंभ में सरकार की प्रदत्त इक्विटी+ आरंभ से सरकार द्वारा निवेशित घटायी गयी इक्विटी का मूल्य +आरंभ में संचालन तथा प्रशासनिक व्यय प्राप्त करने हेतु निवेश की गई सहायिकी/ अनुदानों का घटाया गया मूल्य)/ वार्षिक अवधि में हस्तक्षेप की संख्या।

[40] कुल आरओआई की गणना करते समय, जीओजेएण्डके के अतिरिक्त निवेश की गई इक्विटी को भी लिया है।

[41] गैर-विद्युत क्षेत्र के पीएसयू तथा हानि वाले गैर- विद्युत क्षेत्र के पीएसयू की आरओई को नहीं निकाला जा सका क्योंकि पूरे वर्षों के दौरान शेयरधारक की कुल निधि नकारात्मक रही थी।

विवरण	मापदण्ड	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लाभ वाले पीएसयू	आरओसीई*	16.27	7.68	9.05	8.83	11.02
	आरओआई^	11.03	6.85	7.52	24.35	23.37
	आरओई	147.92	15.46	13.95	12.02	13.17
हानि वाले पीएसयू	आरओसीई*	-23.90	-28.51	-34.24	-35.01	-47.89
	आरओआई^	-55.86	-63.10	-70.44	-55.45	-46.93
	आरओई	-	-	-	-	-

** केवल सकारात्मक पूँजी नियोजन वाली कंपनियों पर विचार किया गया।*

^ उन कंपनियों[42] को छोड़कर जिन्होंने लाभ और हानि लेखाओं को तैयार नहीं किया।

विद्युत क्षेत्र के अलावा गैर-सूचीबद्ध हेतु आरओई की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि सभी वर्षों के लिए समग्र शेयरधारकों की निधि नकारात्मक रही।

तालिका 5.8 (बी1) और (बी2) में आरओसीई की गणना निवेश के अंकित मूल्य पर की गई है। चूँकि विद्युत क्षेत्र के अलावा गैर-सूचीबद्ध पीएसयू से संबंधित कोई शेयर प्रीमियम नहीं है, शेयर प्रीमियम सहित आरओसीई परिवर्तित नहीं होगा। तथापि, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड से संबंधित निवेश के वसूले गए मूल्य[43] पर आरओसीई की गणना निम्नानुसार हैः

तालिका 5.9:

शेयर प्रीमियम पर विचार करते हुए विद्युत क्षेत्र के अलावा पीएसयू (सूचीबद्ध) के लिए आरओसीई

(प्रतिशत में)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड	16.01	12.69	-33.78	10.12	16.17

जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड के शेयर प्रीमियम लेखा पर विचार करने के पश्चात् वर्ष 2014-15 और 2018-19 के दौरान आरओसीई -33.78 प्रतिशत से 16.17 प्रतिशत के बीच रही।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, सकारात्मक पूँजी नियोजन वाले (***परिशिष्ट 5.1.6*** *में दिए गए विवरणानुसार)* केवल नौ पीएसयू को अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार कर देने से पूर्व लाभ हुआ था। इनमें से, केवल जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को सिर्फ वर्ष 2014-15 के दौरान अंतिम रूप दिए गए लेखा में तथा जम्मू एण्ड कश्मीर

42 वर्ष 2014-15 से 2017-18 के वर्षों के लिए, पाँच कंपनियाँ नामतः जम्मू एण्ड कश्मीर ओवरसीज इम्प्लॉयमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन और जम्मू एण्ड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेन्टर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा वर्ष 2018-19 हेतु अतिरिक्त नौ नई निगमित कंपनियाँ।

43 शेयर प्रीमियम सहित निवेश।

स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड को वर्ष 2018-19 के दौरान अंतिम रूप दिए गए लेखा में ही लाभ हुआ था जबकि जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड को वर्ष 2016-17 के दौरान अंतिम रूप दिए गए लेखा में हानि हुई।

5.1.13 सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की पारंपरिक गणना निवेश पर प्रतिफल की उपयुक्तता का सही संकेतक नहीं हो सकती है क्योंकि ऐसी गणना पैसे के वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती है। इसलिए, ऐतिहासिक लागत के आधार पर, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा निवेश की गई निधि पर प्रतिफल की गणना के अतिरिक्त, निवेश पर प्रतिफल की गणना धन के वर्तमान मूल्य (पीवी) पर विचार करने के बाद भी की गई है। राज्य सरकार के निवेश के पीवी की गणना वहाँ की गई थी जहां सरकार द्वारा इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण, इक्विटी में परिवर्तित ऋण के रूप में निवेश किया गया था। ऑपरेशनल और प्रबंध खर्चे सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान/ सहायिकी पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इन कंपनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2019 तक ऑपरेशनल और प्रबंध खर्चों और अन्य उद्देश्य हेतु द्विभाजन उपलब्ध नहीं था।

इन उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश के पीवी की गणना निम्नलिखित धारणाओं पर की गई थी:

- ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान/ सहायिकी को राज्य सरकार द्वारा निधि निवेशन माना गया है। हालांकि, पीएसयू द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के मामले में, पीवी की गणना ब्याज मुक्त ऋणों की कम शेष राशि पर अवधि के दौरान की गई थी।
- संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए, सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए छूट की दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष में निधियों के निवेश के प्रति सरकार द्वारा वहन की गई लागत को प्रस्तुत करते हैं।

(ए) विद्युत क्षेत्र के पीएसयू

विद्युत क्षेत्र के पीएसयू में, राज्य सरकार ने केवल ₹5.20 करोड़ (विवरण ***परिशिष्ट 5.1.7 (ए)*** में) की इक्विटी लगाई थी। इसके अतिरिक्त, पूँजी परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए, राज्य सरकार ने जेकेएसपीडीसी को ₹5,753.83 करोड़ योजना निधियों के रूप में दिया। योजना सहायता के रूप में ये योजना निधियाँ कंपनी की स्थापना (1994-95) से विभिन्न वर्षों के दौरान दी गई थी और निवेश-आँकडों के प्रतिफल पर पहुँचने के लिए निवेश के निर्धारण में द्विभाजित नहीं जा सकीं। इसलिए, विद्युत क्षेत्र के पीएसयू का निवल वर्तमान मूल्य नहीं आंका जा सका।

(बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा पीएसयू

35 राज्य पीएसयू[44] (विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र) जहां राज्य सरकार द्वारा निधि का निवेश किया गया, के संबंध में पीएसयू की लाभप्रदता का आंकलन करने के लिए निवेश के प्रति कुल आय का एक विश्लेषण किया गया था। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान, इन 35 पीएसयू में वर्ष 2016-17 को छोड़कर निवेश पर सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुआ था।

35 पीएसयू[45] की पीएसयू-वार स्थिति, जिसमें जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में निवेश किया था, को ***परिशिष्ट 5.1.7 (बी)*** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के लिए, सभी पीएसयू से संबंधित राज्य सरकार के निवेश के निवल वर्तमान मूल्य की स्थिति को ***परिशिष्ट 5.1.7 (सी)*** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2018-19 के अंत में इन पीएसयू में राज्य सरकार द्वारा निवेश का शेष ₹347.29 करोड़ से बढ़कर वर्ष 1999-2000 की शुरुआत में ₹864.21 करोड़[46] हो गया क्योंकि राज्य सरकार ने वर्ष 1999-2000 से 2018-19 की अवधि के दौरान इक्विटी (₹412.25 करोड़) और ब्याज मुक्त ऋण (₹122.17 करोड़) के रूप में और निवेश किया। 31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश किए गए पीवी की राशि ₹2,823.21 करोड़ हो गई।

वर्ष 2018-19 के दौरान, ऐतिहासिक मूल्य पर आधारित राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल 31.72 प्रतिशत था, हालांकि, निवेश के वर्तमान मूल्य पर विचार करते हुए प्रतिफल की वास्तविक दर केवल 9.71 प्रतिशत थी।

5.1.14 ऐतिहासिक लागत और इस प्रकार के निवेश के वर्तमान मूल्य के अनुसार निवेश की तुलना

विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2018-19 के दौरान सरकार ने अपवाद वर्ष 2016-17 सहित पाँच वर्षों में 35 पीएसयू में किए गए निवेश पर सकरात्मक प्रतिफल प्राप्त किया। इन पाँच वर्षों के लिए, ऐतिहासिक लागत और वर्तमान मूल्य पर निधि पर प्रतिफल

---

44 जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को छोड़कर, जिसमें जम्मू और कश्मीर सरकार ने कोई निवेश नहीं किया था।

45 वर्ष 1999-2019 के दौरान, केवल 28 पीएसयू में निवेश किया गया था जैसा कि ***परिशिष्ट 5.1.7*** में दर्शाया गया है।

46 आरंभिक शेषः (₹347.29 करोड़) +इक्विटीः (₹412.25 करोड़) + ब्याज मुक्त ऋणः (₹122.17 करोड़) - इक्विटी में प्रत्यावर्तित ब्याज मुक्त ऋणः (₹17.50 करोड़)।

की तुलना हाल ही में अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार नीचे तालिका 5.10 में दी गई है:

तालिका 5.10: निवेश पर प्रतिफल की तुलना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल आय	जीओजेएण्डके के द्वारा निधियों का निवेश	निवेश पर ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में निवेश का पीवी[47]	निवेशों की वर्तमान लागत को ध्यान में रखकर निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
2013-14	1,048.22	530.68	197.52	1,711.90	61.23
2014-15	378.25	535.51	70.63	1,848.57	20.46
2015-16	264.80	542.36	48.82	1,989.94	13.31
2017-18	32.62	681.32	4.79	2,450.70	1.33
2018-19	274.10	864.21	31.72	2,823.21	9.71

**जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड को वर्ष 2016-17 के दौरान हानि होने के कारण उसकी कुल आय नकारात्मक थी*

वर्ष 2013-14 में ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर अर्जित प्रतिफल 197.52 प्रतिशत था। वर्ष 2018-19 के दौरान, यह मुख्यतः तीन[48] कंपनियों के कर के पश्चात् लाभ में कमी के कारण 31.72 प्रतिशत तक घटकर कम हो गया। जबकि वर्ष 2013-14 के दौरान निवेशों के वर्तमान मूल्य को देखते हुए अर्जित प्रतिफल 61.23 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 के दौरान, 1.33 प्रतिशत तक रह गया और वर्ष 2018-19 के दौरान 9.71 प्रतिशत तक बढ़ गया। वर्ष 2016-17 के दौरान, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटिड द्वारा उठाई गई ₹1,632.29 करोड़ की हानियों के कारण प्रतिफल नकारात्मक रहे थे।

5.1.15 पीएसयू के निवल मूल्य का ह्रास

(ए) विद्युत क्षेत्र

निवल मूल्य भुगतान की गई पूँजी और मुक्त आरक्षित निधि का कुल योग और अधिशेष में से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय की कुल राशि को घटाना है। मुख्य रूप से, यह मालिकों को सत्व के मूल्य आंकलन का एक पैमाना है। एक नकारात्मक शुद्ध मूल्य इंगित करता है कि मालिकों द्वारा पूरे निवेश को संचित घाटे और आस्थगित राजस्व व्यय से पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। ₹ पाँच करोड़

47 ये आंकडे राज्य सरकार निवेश के पीवी तथा अन्य निवेश के जोड पर आधारित हैं। अन्य इक्विटी पर वर्तमान मूल्य की गणना वर्ष 2013-14 से की गई है।

48 (1) जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड पीएटी (2013-14: ₹1,182.47 करोड़; 2018-19: ₹464.88 करोड़); (2) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन पीएटी (2013-14: ₹0.01 करोड़; 2018-19: ₹ (-40.65) करोड़); और (3) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पीएटी (2013-14: ₹(-66.97) करोड़; 2018-19: ₹ (-92.90) करोड़)।

के पूँजी निवेश के प्रति, जेकेएसपीडीसी[49] का समग्र संचित घाटा ₹178.81 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹173.81 करोड़ का नकारात्मक निवल मूल्य ह्रास हुआ था जिसका विवरण ***परिशिष्ट-5.1.4*** में विस्तृत रूप से और निम्नलिखित तालिका 5.11 में दिया गया है।

तालिका 5.11: वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 के दौरान हाल ही में अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार जेकेएसपीडीसी का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	नि:शुल्क भंडार	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/ हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2014-15	5.00	1,134.66	-922.34	शून्य	217.32
2015-16	5.00	शून्य	-519.06	शून्य	-514.06
2016-17	5.00	शून्य	-519.06	शून्य	-514.06
2017-18	5.00	शून्य	-178.81	शून्य	-173.81
2018-19	5.00	शून्य	-178.81	शून्य	-173.81

(स्रोतः कंपनी के लेखे)

राज्य सरकार ने वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान जेकेएसपीडीसी में इक्विटी का निवेश नहीं किया था।

(बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र

20 राज्य पीएसयू[50] (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के उनके अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार पूँजी निवेश, संचित घाटे और नि:शुल्क भंडार क्रमश: ₹618.01 करोड़, ₹2340.41 करोड़ और ₹2960.39 करोड़ थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹1237.99 करोड़ का निवल मूल्य रहा था जिसका विवरण ***परिशिष्ट 5.1.8*** में दिया गया है। निवेश और संचित घाटे के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि पूँजी निवेश के रूप में इन 20 पीएसयू में से, नौ में निवल मूल्य का क्षय पूरी तरह से हो गया था क्योंकि इन पीएसयू का पूँजीगत निवेश और संचित घाटा क्रमश: ₹243.79 करोड़ और

---

49 सीवीपीपीपी को छोड़कर, जिसमें जीओजेएण्डके द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया था और अन्य चार निष्क्रिय थे, हालांकि इन कंपनियों में जीओजेएण्डके द्वारा ₹0.20 करोड़ का निवेश किया गया था।

50 पांच निष्क्रिय पीएसयू को छोड़कर अर्थात् (1) तवी स्कूटर्स लिमिटेड (2) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और (3) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मैटेरियल सप्लाइज आर्गेनाईजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की सहायक) (4) जम्मू एण्ड कश्मीर रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और (5) जम्मू एण्ड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड और दो नामित कार्यरत पीएसयू अर्थात् (1) जम्मू एण्ड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड (2) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, जिन्होंने स्थापना के बाद से कभी अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए तथा वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान निगमित नौ नए पीएसयू।

₹2,266.56 करोड़ था। इन नौ पीएसयू में से, अधिकतम निवल मूल्य ह्रास, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (₹969.75 करोड़[51]), जम्मू एण्ड कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (₹598.13 करोड़[52]), जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹132.52 करोड़[53]) और जम्मू एण्ड कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड (₹93.56 करोड़[54]) का रहा था। हालांकि, इन नौ पीएसयू में से दो[55] में जिनमें निवल मूल्य का पूरी तरह से ह्रास हुआ था, वर्ष 2018-19 के दौरान उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, लाभ अर्जित किया था।

निम्नलिखित तालिका 5.12 में वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान 20 पीएसयू जहां राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष निवेश किया था, उनकी कुल प्रदत्त पूँजी, मुक्त भंडार, कुल संचित लाभ/ हानि और कुल निवल मूल्य को इंगित किया गया है।

तालिका 5.12: वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान हाल ही में अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार 20 पीएसयू का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	मुक्त भंडार[56]	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/ हानि (-)	निवल मूल्य
2014-15	483.30	3,868.86	-1,851.08	2,501.08
2015-16	502.00	4,084.05	-1,885.63	2,700.42
2016-17	516.37	2,484.36	-2,049.16	951.57
2017-18	525.68	2,725.68	-2,150.57	1,100.79
2018-19	618.01	2,960.39	-2,340.41	1,237.99

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है, समग्र निवल मूल्य एक साथ लिए गए 20 पीएसयू हेतु वर्ष 2014-15 में ₹2,501.08 करोड़ से घटकर, वर्ष 2018-19 में ₹1237.99 करोड़ हो गया। हालांकि, 11 पीएसयू का निवल मूल्य घटा जबकि सात पीएसयू के निवल मूल्य में वृद्धि दर्ज की गई और दो पीएसयू का निवल मूल्य समान

---

51 वर्ष 2013-14 हेतु नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

52 वर्ष 2010-11 हेतु नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

53 वर्ष 2013-14 हेतु नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

54 वर्ष 1999-2000 हेतु नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

55 जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हॉर्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा जम्मू एण्ड कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।

56 वर्ष 2014-15 (₹3864.75 करोड़), 2015-16 (₹4072.21 करोड़), 2016-17 (₹2458.98 करोड़) और 2017-18 (₹2625.65 करोड़) और 2018-19 (₹2950.97 करोड़) के दौरान जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड के राजस्व और अन्य आरक्षितों को मुक्त भण्डार एवं संचित लाभों के रूप में लिया गया है।

रहा। 31 मार्च 2019 को दस पीएसयू[57] ने सकारात्मक निवल मूल्य दिखाया, नौ पीएसयू का निवल मूल्य नकारात्मक रहा था, एक पीएसयू अर्थात् जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2010-11 के एक लेखे को अंतिम रूप दिया था, अतः लाभ और हानि लेखा को प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण, इसकी निवल संपत्ति को उजागर नहीं किया जा सका।

5.1.16 लाभांश का भुगतान

वर्ष 2018-19 के दौरान हाल ही में अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, एक विद्युत क्षेत्र पीएसयू अर्थात् जेकेएसपीडीसी और विद्युत क्षेत्र के अलावा नौ कार्यरत पीएसयू क्षेत्र ने क्रमशः ₹160.23 करोड़ और ₹491.66 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया। हालांकि, किसी भी पीएसयू ने वर्ष 2018-19 हेतु किसी भी लाभांश की घोषणा नहीं की थी।

यह सिफ़ारिश की जाती है कि राज्य सरकार लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू के लिए लाभांश नीति की घोषणा पर विचार करे।

5.1.17 कंपनियों के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण

कंपनियों द्वारा सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण को चुका देने की कंपनियों की क्षमता का आंकलन करने के लिए, वर्ष 2014-19 के दौरान लीवरेज[58] वाली कंपनियों के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण किया गया। इसका मूल्यांकन, ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) और ऋण टर्नओवर अनुपात (डीटीआर) के माध्यम से किया जाता है।

5.1.18. ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और उक्त अवधि के ब्याज व्यय द्वारा कंपनी की आय से पहले ब्याज और कर (ईबीआईटी) को विभाजित करके गणना की जाती है। जितना कम अनुपात होता है, उतनी ही कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता कम होती है। एक से कम का ब्याज

---

57 (1) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (2) जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (3) जम्मू एण्ड कश्मीर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एण्ड अदर बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (4) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (5) जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (6) जम्मू एण्ड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (7) जम्मू एण्ड कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड (8) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और (9) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड (10) जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड।

58 निवेश के संभावित प्रतिफल की वृद्धि के लिए उधार ली गयी निधि का उपयोग।

कवरेज अनुपात इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं कर रही थी।

(ए) विद्युत क्षेत्र के पीएसयू

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार जेकेएसपीडीसी[59] के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण नीचे दी गई तालिका 5.13 में दिया गया है:

तालिका 5.13: विद्युत क्षेत्र के पीएसयू का ब्याज कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तक अंतिम रूप दिए गए लेखे	ब्याज	ईबीआईटी	ब्याज कवरेज अनुपात
2014-15	2010-11	262.75	460.45	1.75
2015-16	2011-12	227.34	668.95	2.94
2016-17	2011-12	227.34	668.95	2.94
2017-18	2013-14	155.78	433.41	2.78
2018-19	2013-14	155.78	433.41	2.78

अंतिम रूप दिए गए उनके वार्षिक लेखाओं के बकाया होने के बावजूद, जैसा कि उपर्युक्त तालिका 5.13 से देखा जा सकता है, जेकेएसपीडीसी का वर्ष 2014-15 से 2018-19 की पूर्ण अवधि के दौरान, एक से अधिक का ब्याज कवरेज अनुपात था, जो यह दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित कर रही है।

(बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्रों के पीएसयू

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान हाल ही में अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार विद्युत क्षेत्र के अलावा अन्य पीएसयू[60] के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण नीचे दी गई तालिका 5.14 में दिया गया है:

---

[59] शेष पांच विद्युत क्षेत्र की कंपनियों ने किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिया था।

[60] पांच निष्क्रिय पीएसयू को छोड़कर: (1) तवी स्कूटर्स लिमिटेड (2) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और (3) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मैटेरियल सप्लाइज आर्गेनाईजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की सहायक) (4) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और (5) जम्मू एण्ड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड, दो कार्यरत सार्वजनिक उपक्रम अर्थात् (1) जम्मू एण्ड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड (2) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिन्होंने अपनी स्थापना के बाद से कभी भी अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए, चार पीएसयू अर्थात् (1) जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (2) जम्मू एण्ड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (3) जम्मू एण्ड कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड (4) जम्मू एण्ड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जिन्होंने कोई ऋण नहीं लिया है तथा वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान निगमित नौ नए पीएसयू जिन्होंने विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।

तालिका 5.14: राज्य पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र) से संबंधित ब्याज कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	ईबीआईटी	सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले पीएसयू की संख्या	ब्याज कवरेज अनुपात वाले पीएसयू की संख्या	
				एक से अधिक	एक से कम
2014-15	290.04	965.16	16	5	11
2015-16	248.14	763.93	16	4	12
2016-17	206.27	-1464.76	16	3	13
2017-18	257.83	439.21	16	5	11
2018-19	373.87	927.06	14	5	09

वर्ष 2018-19 के दौरान सरकार के साथ-साथ, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋणों की देयता वाले 14 राज्य पीएसयू में से, पाँच पीएसयू में एक से अधिक का ब्याज कवरेज अनुपात था, जबकि शेष नौ पीएसयू में ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था, जो इंगित करता है कि अवधि के दौरान ये नौ पीएसयू ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं कर सके।

5.1.19 पीएसयू का ऋण-कारोबार अनुपात

(ए) विद्युत क्षेत्र

जेकेएसपीडीसी ने कारोबार की नकारात्मक संयुक्त वार्षिक वृद्धि और क्रमशः 5.04 प्रतिशत एवं 9.98 प्रतिशत का ऋण दर्ज किया। ऋण-कारोबार अनुपात में वर्ष 2014-15 में 2.28 से वर्ष 2015-16 के दौरान 1.33 का सुधार हुआ। हालांकि, आगे वर्ष 2017-18 में केवल कारोबार में वृद्धि के प्रति ऋण में महत्त्वपूर्ण वृद्धि के कारण 1.84 का ह्रास हुआ, जैसा कि नीचे तालिका 5.15 में दिया गया है:

तालिका 5.15: जेकेएसपीडीसी से संबन्धित ऋण-कारोबार अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार और अन्य (बैंक और वित्तीय संस्थान) से ऋण	2,781.97	1,493.55	1,493.55	1,826.49	1,826.49
टर्नओवर	1,220.62	1,119.90	1,119.90	992.46	992.46
ऋण- टर्नओवर अनुपात	2.28:1	1.33:1	1.33:1	1.84:1	1.84:1

(स्रोत: अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के आधार पर संकलित)

(बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, 19 पीएसयू[61] के कारोबार में 4.23 प्रतिशत की सयुंक्त वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई और ऋण की संयुक्त वार्षिक वृद्धि 2.03 प्रतिशत रही, जिसके कारण ऋण-कारोबार का अनुपात वर्ष 2014-15 में, 0.52 से घटकर वर्ष 2018-19 में, 0.48 हो गया। इस अवधि के दौरान ऋण-कारोबार अनुपात 0.43 और 0.53 के बीच रहा था, जैसा कि नीचे तालिका 5.16 में दिया गया है:

तालिका 5.16: पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) से संबंधित ऋण-कारोबार अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार और अन्य (बैंक और वित्तीय संस्थान) से ऋण	3,875.23	3,834.30	3,097.52	3,633.37	4,200.71
कारोबार	7,449.34	7,296.59	7,238.03	7,579.22	8,792.44
ऋण-कारोबार अनुपात	0.52:1	0.53:1	0.43:1	0.48:1	0.48:1

(स्रोत: अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के आधार पर संकलित)

5.1.20 राज्य के निष्क्रिय पीएसयू

शेयर पूँजी के प्रति कुल ₹0.20 करोड़ के कुल निवेश वाले विद्युत क्षेत्र के छह उपक्रमों में से चार उपक्रम 31 मार्च 2019 तक निष्क्रिय थे।

इसी प्रकार, विद्युत क्षेत्र के अलावा 36 राज्य पीएसयू क्षेत्रों में से, पाँच अक्रियाशील थे और 31 मार्च 2019 तक पूँजी (₹55.57 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण (₹0.83 करोड़) के प्रति कुल ₹56.40 करोड़[62] का निवेश कर रहे थे। 31 मार्च 2019 तक समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में अक्रियाशील पीएसयू की संख्या नीचे तालिका 5.17 में दी गई है:

---

61 पांच निष्क्रिय पीएसयू को छोड़कर अर्थात् (1) तवी स्कूटर्स लिमिटेड (2) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड (3) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज आर्गेनाईजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की सहायक) (4) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और (5) जम्मू एण्ड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड, वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान निगमित नौ पीएसयू, दो कार्यरत सार्वजनिक उपक्रम अर्थात् (1) जम्मू एण्ड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड (2) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, जिन्होंने अपनी स्थापना के बाद से कभी भी अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए और एक कार्यरत पीएसयू अर्थात् जम्मू एण्ड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसने लाभ और हानि के लेखा तैयार नहीं किया था।

62 तवी स्कूटर्स लिमिटेड: ₹1.63 करोड़, हिमालयन वूल कांबर्स लिमिटेड: ₹1.37 करोड़, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज ऑर्गेनाईजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की सहायक कंपनी): ₹0.40 करोड़, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड: ₹5.00 करोड़ और जम्मू एण्ड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड: ₹48.00 करोड़।

तालिका 5.17: राज्य के निष्क्रिय पीएसयू

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
विद्युत क्षेत्र में निष्क्रिय पीएसयू की संख्या	2	4	4	4	4
निष्क्रिय पीएसयू की संख्या (विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र)	3	4	5	5	5

(स्रोत: जम्मू और कश्मीर सरकार के संबंधित वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू), में शामिल जानकारी से संकलित)

विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्रों में पाँच निष्क्रिय पीएसयू में से, तीन पीएसयू[63] पिछले 18 से 27 वर्षों से क्रियाशील नहीं थे और परिसमापन के अंतर्गत थे।

सरकार इन निष्क्रिय पीएसयू को बंद करने के लिए उचित निर्णय ले सकती है।

5.1.21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक लेखाओं पर टिप्पणियाँ

(ए) विद्युत क्षेत्र

1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 के दौरान, एक विद्युत क्षेत्र के पीएसयू (सीवीपीपीपीएल) ने अपने एक लेखापरीक्षित लेखे को महालेखाकार को अग्रेषित किया, जो अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। इस लेखा की अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान एक महत्त्वपूर्ण मामला पाया गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएण्डएजी की टिप्पणियों के औसत निधि मूल्य का विवरण नीचे तालिका 5.18 में दिया गया है:

तालिका 5.18: विद्युत क्षेत्र के पीएसयू पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में गिरावट	-	-	1	4.19	1	15.60
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	1	63.22	-	-
3.	हानि में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
4.	हानि में गिरावट	-	-	-	-	-	-
5.	भौतिक तथ्यों का प्रकट न होना	-	-	2	112.83	-	-
6.	वर्गीकरण में त्रुटियां	-	-	-	-	-	-

(स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/ सीएण्डएजी की टिप्पणियों से संकलित)

(बी) विद्युत क्षेत्रों के अलावा क्षेत्र

1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 की अवधि के दौरान, दस पीएसयू ने 21 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। सांविधिक लेखापरीक्षकों की

[63] तवी स्कूटर्स लिमिटेड, हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज आर्गेनाईजेशन लिमिटेड।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सीएण्डएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएण्डएजी की टिप्पणियों के औसत निधि मूल्य का विवरण नीचे तालिका 5.19 में दिया है:

तालिका 5.19: राज्य पीएसयू पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव
(विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में गिरावट	2	2.33	2	0.16	3	16.86
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	2	0.05	1	0.03
3.	हानि में वृद्धि	1	0.06	3	1.55	8	103.69
4.	हानि में गिरावट	1	0.03	2	1.17	3	100.48
5.	भौतिक तथ्यों का प्रकट न होना	1	2.56	4	21.82	1	95.71
6.	वर्गीकरण में त्रुटियां	4	30.98	5	97.39	13	48.43

(स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/ सीएण्डएजी की टिप्पणियों से संकलित)

वर्ष 2018-19 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 16 लेखाओं पर क्वालिफाइड प्रमाण-पत्र जारी किए थे। पीएसयू द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन स्तरहीन रहा क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने पाँच पीएसयू[64] के 12 लेखाओं में लेखांकन मानकों की अननुपालन के 19 उदाहरण इंगित किये।

राज्य में तीन सांविधिक निगम, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (जेकेएसआरटीसी), जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन हैं। जेकेएसआरटीसी के संबंध में सीएण्डएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है। तीन कार्यरत सांविधिक निगमों में से, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन सीएण्डएजी (मार्च 2000) को लेखापरीक्षा सौंपने की तिथि से वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करने में असफल रहा। केवल एक निगम (जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन) ने वर्ष 2017-18 के लिए अपने वार्षिक लेखे अग्रेषित किये, जबकि 01 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 के दौरान, जेकेएसआरटीसी किसी भी लेखे को अग्रेषित करने में असफल रहा। सांविधिक

[64] जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (छह लेखे), जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट विमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एक लेखा), जम्मू एण्ड कश्मीर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (दो लेखे), जम्मू एण्ड कश्मीर हैण्डीक्राफ्ट (सेल्स एण्ड एक्सपोर्ट) डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एक लेखा) और जम्मू एण्ड कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड (दो लेखे)।

लेखापरीक्षकों ने वर्ष 2017-18 के लिए जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के वार्षिक लेखाओं पर क्वालिफाइड प्रमाण-पत्र दिए थे।

पिछले तीन वर्षों में, सांविधिक निगमों के संबंध में सीएण्डएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा और सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों की सकल निधि का विवरण निम्नलिखित तालिका 5.20 में दिया गया है:

तालिका 5.20: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में गिरावट	-	-	-	-	-	-
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	1	28.04	1	15.14	-	-
4.	हानि में गिरावट	1	0.07	-	-	-	-
5.	भौतिक तथ्यों का प्रकट न होना	1	8.58	-	-	-	-
6.	वर्गीकरण में त्रुटियां	1	12.17	1	5	2	19.43

(स्रोत: सांविधिक निगमों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/ सीएण्डएजी की टिप्पणियों से संकलित)

यह अनुशंसा की जाती है कि जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, जो कि सीएण्डएजी को लेखापरीक्षा सौंपने की तिथि से किसी भी वार्षिक लेखा को प्रस्तुत करने में असफल रहा था, लेखाओं में बकायों को परिसमापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए और उसके द्वारा इसकी कार्यपद्धति का विधायी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करे।

संबंधित पीएसयू लाभ/ हानि के कम/ अधिक विवरण से बचने हेतु त्रुटि रहित लेखाओं के लिए सांविधिक मानदण्डों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं। जेकेपीडीसी को जहाँ त्रुटियाँ तुलनात्मक रूप से अधिक थी, के संबंध में अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा, वित्त और प्रशासनिक विभाग को यह निरीक्षण करना चाहिए कि इन पीएसयू द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

5.1.22 निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ

(ए) विद्युत क्षेत्र

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए, छह सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित एक लेखापरीक्षा पैराग्राफ विद्युत विकास विभाग के आयुक्त सचिव, जम्मू और कश्मीर सरकार को जारी किया गया था। राज्य सरकार/ प्रबंधन से जवाब (सितंबर 2020) प्रतीक्षित था। लेखापरीक्षा पैराग्राफ का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹6.59 करोड़ है।

(बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए (विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्र) जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित तीन अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ तथा जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की कार्यप्रणाली से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए गए थे। राज्य सरकार/ विभाग/ प्रबंधन से उत्तर प्रतीक्षित (सितंबर 2020) हैं। इन लेखापरीक्षा पैराग्राफों का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹747.94 करोड़[65] है।

5.1.23 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया की पूर्णता को दर्शाती है। इसलिए, यह आवश्यक है कि वे कार्यकारिणी से उचित और समय पर उत्तर प्राप्त करें। वित्त विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार ने (जून 1997) सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए कि विधानमंडल में प्रस्तुत करने के पश्चात् निर्धारित प्रारूप में पीएसयू (सीओपीयू) की समिति से किसी भी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, वे अपनी प्रस्तुति के तीन महीने की अवधि के भीतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल पैराग्राफ/ समीक्षाओं के जवाब/ व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित प्रस्तुत करें। सितंबर 2019 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 5.21: पीएसयू से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर प्राप्त नहीं हुई व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (30 सितंबर 2020 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/ पीएसयू)	राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पीए) और पैराग्राफ				पीए/ पैराग्राफ की संख्या जिनके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं की गई			
		पीए		पैराग्राफ		पीए		पैराग्राफ	
		विद्युत	विद्युत के अलावा	विद्युत	विद्युत के अलावा	विद्युत	विद्युत के अलावा	विद्युत	विद्युत के अलावा
2000-01	6 अप्रैल 2002	-	1	1	2	-	-	-	-
2001-02	21 जून 2003	-	1	-	4	-	-	-	-
2002-03	23 अगस्त 2004	-	1	1	2	-	-	-	-
2003-04	23 मार्च 2005	-	-	1	2	-	-	-	-
2004-05	27 मार्च 2006	-	1	-	4	-	-	-	1

[65] जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा: ₹737.57 करोड़; तीन अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ: ₹10.37 करोड़।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/ पीएसयू)	राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पीए) और पैराग्राफ				पीए/ पैराग्राफ की संख्या जिनके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं की गई			
		पीए		पैराग्राफ		पीए		पैराग्राफ	
		विद्युत	विद्युत के अलावा	विद्युत	विद्युत के अलावा	विद्युत	विद्युत के अलावा	विद्युत	विद्युत के अलावा
2005-06	8 फरवरी 2007/ 31 अगस्त 2009	-	3	1	1	-	1	-	-
2006-07	30 जनवरी 2008	-	1	-	5	-	-	-	-
2007-08	5 मार्च 2009	-	1	-	3	-	-	-	-
2008-09	30 मार्च 2010	-	1	-	3	-	-	-	2
2009-10	31 मार्च 2011	1	-	-	3	-	-	-	-
2010-11	4 अप्रैल 2012	-	1	-	5	-	-	-	-
2011-12	5 अप्रैल 2013	-	2	-	-	-	1	-	-
2012-13	4 मार्च 2014	-	-	1	2	-	-	-	1
2013-14	27 मार्च 2015	-	1	-	6	-	-	-	-
2014-15	27 जून 2016	-	1	4	3	-	-	-	-
2015-16	4 जुलाई 2017	1	-	-	6	1	-	-	3
2015-16 तक		**2**	**15**	**9**	**51**	**1**	**2**	**-**	**7**
2016-17	23 सितंबर 2020	-	1	-	6	-	-[66]	-	-
2017-18	23 सितंबर 2020	-	1	2	5	-	-	-	-
कुल		**2**	**17**	**11**	**62**	**1**	**2**	**-**	**7**

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र के 11 पैराग्राफों/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं[67] में से, जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर सिर्फ एक निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (सितंबर 2020 तक) प्रतीक्षित थी।

इसी प्रकार, विद्युत क्षेत्र के अलावा 66 पैराग्राफों/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से, दो विभागों के संबंध में, जिन पर टिप्पणियाँ की जा चुकी थी, नौ पैराग्राफों/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं से व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित थीं।

5.1.24 सीओपीयू के प्रतिवेदनों की अनुपालना

अप्रैल 2005 से मार्च 2018 के मध्य राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत सीओपीयू के दो प्रतिवेदनों से संबंधित विद्युत क्षेत्र पीएसयू के पाँच पैराग्राफों पर कृत कार्रवाई

---

66 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2016-17 और 2017-18 को दिनांक 23.09.2020 को संसद में प्रस्तुत किया गया। चूँकि संसद में उनके प्रस्तुतीकरण से व्याख्यात्मक टिप्पणियों को प्रस्तुत करने की तीन महीनों की निर्धारित अवधि समाप्त नहीं हुयी है, अतः पीए/ पैराग्राफों जिनके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुयी थी, के कॉलम के नीचे शून्य दर्शाया गया।

67 निष्पादन लेखापरीक्षा को एक पैराग्राफ माना गया है, वर्ष 2016-17 और 2017-18 के प्रतिवेदनों के पैराओं पर विचार नहीं किया गया जैसा कि पाद टिप्पणी 65 में वर्णित है।

टिप्पणियाँ (एटीएन) और विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्रों के सीओपीयू के आठ प्रतिवेदनों से संबंधित कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ (एटीएन) सितंबर 2019 तक प्राप्त नहीं हुयी थी, जैसा कि तालिका 5.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.22: सीओपीयू प्रतिवेदनों की अनुपालना

सीओपीयू प्रतिवेदन का वर्ष	सीओपीयू प्रतिवेदनों की कुल संख्या	सीओपीयू प्रतिवेदन में सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जहां एटीएन प्राप्त नहीं हुये
विद्युत क्षेत्र के पैरा			
2015-16 (47वां प्रतिवेदन)	01	02	02
2017-18 (49वां प्रतिवेदन)	01	04	03
कुल	**02**	**06**	**05**
गैर-विद्युत क्षेत्र के पैरा			
2004-05 (40वां प्रतिवेदन)	01	06	05
2009-10 (42वां प्रतिवेदन)	01	13	04
2010-11 (43वां प्रतिवेदन)	01	02	01
2011-12 (44वां प्रतिवेदन)	01	05	1
2013-14 (46वां प्रतिवेदन)	01	14	01
2015-16 (47वां प्रतिवेदन)	01	15	06
2016-17 (48वां प्रतिवेदन)	01	06	03
2017-18 (49वां प्रतिवेदन)	01	25	24
कुल	**08**	**86**[68]	**45**

सीओपीयू के इन प्रतिवेदनों में 10 विभागों से संबंधित पैराग्राफों के संबंध में सिफारिशें निहित थी, जो वर्ष 2000-01 से वर्ष 2015-16 के लिए सीएण्डएजी के प्रतिवेदनों में दर्शायी गयी थी।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि:

- **निर्धारित समय-सीमा में निरीक्षण प्रतिवेदन/ मसौदा पैराग्राफों/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं का जवाब देना और सीओपीयू की सिफारिशों पर अपनी कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ देना;**
- **निर्धारित अवधि में हानि/ बकाया अग्रिमों/ अधिक भुगतानों की वसूली; और**
- **लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर देने की प्रणाली का पुन: निर्धारण करना।**

[68] 57 पैराग्राफों/ निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित है जो वर्ष 2000-01 से 2015-16 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विशेष रूप से दर्शाए गए हैं।